भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2371

उत्तर देने की तारीखः 10.12.2024

हाथ से मैला उठाना

2371. श्री तारिक अनवरः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में केन्द्र और राज्य सरकारों को सीवर की सफाई करते समय मरने वाले व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को 30 लाख रुपये, स्थायी रूप से घायल हुए व्यक्तियों को 20 लाख रुपये और अन्य जख्मी होने वालों के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस आदेश के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुमार कितने व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट मुआवजे की राशि प्राप्त हुई है;

(घ) क्या यह सच है कि 2021 की जनगणना में निर्धारित विलंब हाथ से मैला ढोने की अमानवीय प्रथा का उन्मूलन एक महत्वपूर्ण बाधा है;

(ङ) वर्ष 2014 से सिर पर मैला ढोने के कारण हुई कई मौतों की संख्या कितनी है और कितने पीड़ितों अथवा उनके परिवारों को मुआवजा प्राप्त हुआ है; और

(च) ऐसे नियोक्ताओं के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है जो व्यक्तियों को ऐसे अमानवीय कृत्यों के लिए बाध्य करते हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2020 की रिट याचिका (सी) संख्या 324 में अपने दिनांक 20.10.2023 के आदेश द्वारा निम्नानुसार आदेश दिया है:

"i. न्यायालय संघ और राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निदेश देता है कि सीवर में होने वाली मौतों के लिए मुआवजे में वृद्धि की जाए (यह देखते हुए कि पूर्व में निर्धारित राशि, अर्थात 10 लाख रुपए वर्ष 1993 से लागू की गई थी)। वर्तमान में उस राशि के बराबर 30 लाख रुपये हैं। यह वह राशि होगी जो संबंधित एजेंसी, अर्थात संघ, संघ राज्य क्षेत्र या राज्य, जैसा भी मामला हो, द्वारा भुगतान की जाएगी। दूसरे शब्दों में, सीवर में हुई मौतों के लिए मुआवज़ा 30 लाख रुपये होगा। यदि किसी पीड़ित के आश्रितों को यह राशि नहीं दी गई है, तो उन्हें उपरोक्त राशि देय होगी। इसके अलावा, यह वह राशि होगी जो मुआवजे के रूप में बाद में चुकाई जाएगी।

ii. इसी तरह, दिव्यांग सीवर पीड़ितों के मामले में, दिव्यांगता की गंभीरता के आधार पर, मुआवज़ा वितरित किया जाएगा। हालाँकि, न्यूनतम मुआवज़ा 10 लाख रुपये से कम नहीं होगा। यदि दिव्यांगता स्थायी है और पीड़ित आर्थिक रूप से असहाय हो गया है, तो मुआवजा 20 लाख रुपये से कम नहीं होगा।

इसे माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों को अनुपालन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20.10.2023 के आदेश के अनुपालन में, सीवर से संबंधित मृत्यु के मामले में पीड़ित 22 परिवारों को 30 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया है, जबकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से दिव्यांगता से संबंधित किसी घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के अनुसार, दिनांक

06.12.2013 से देश में हाथ से मैला उठाना निषिद्ध कार्य है। कोई भी व्यक्ति अथवा एजेंसी किसी भी व्यक्ति को उपर्युक्त तिथि से हाथ से मैला उठाने के लिए नियोजित नहीं कर सकती है। कोई भी व्यक्ति अथवा एजेंसी जो एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के कार्य में नियोजित करती है वह उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत 2 वर्षों के कारावास अथवा एक लाख रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों के साथ दंडनीय होगा।

(ङ.): अस्वच्छ शौचालयों से मानव-मल उठाने अर्थात् मैनुअल स्केवेंजिंग के कारण किसी की मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(च): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मैनुअल स्केवेंजिंग की अमानवीय प्रथा के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

*****